कार्यालय जिलाधिकारी, गोरखपुर

(खनन अनुभाग)

पत्रांकः 1348 / खनिज / नीलामी / सा0 बालू–गो0 दिनांक 22 / 08 / 2024

ई–निविदा आमंत्रण की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ज्येष्ठ खान अधिकारी व खान निरीक्षक, गोरखपुर की जांच आख्या दिनांक 12.08.2024 तहसील गोला स्थित ग्राम–मुहालजलकर का स्थलीय निरीक्षण के दौरान आराजी सं0–2770 में लगभग 11,281.00 घनमीटर, जांच आख्या दिनांक–12.08.2024 तहसील गोला स्थित ग्राम–मुहालजलकर मुस्तकिल का स्थलीय निरीक्षण के दौरान आराजी सं0–2767 में लगभग 28,979.00 घन मीटर सा0 बालू का भण्डारण किया गया है, जिसे जिलाधिकारी व सक्षम न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक कुल 40,260.00 घनमीटर सा0 बालू को सीज कर श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री रामकृपाल सिंह ग्राम खड़ेसरी, थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर की अभिरक्षा में दिया गया है एवं खान निरीक्ष, गोरखपुर की जांच आख्या दिनांक 13.07.2024 तहसील खजनी स्थित ग्राम–एकौना बुजुर्ग का स्थलीय निरीक्षण के दौरान आराजी सं0–176 में 1200.00 घनमीटर जिसे जिलाधिकारी महोदय व सक्षम न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक कुल 1200.00 घनमीटर सा0 बालू को सीज कर श्री पवन मिश्रा पुत्र श्री अरविन्द मिश्रा ग्राम रापतपुर, थाना बेलघाट, जनपद गोरखपुर की अभिरक्षा में दिया गया है, जिस पर राज्य सरकार का अधिकार है। इस प्रकार कुल 41,460.00 घनमीटर सा0 बालू को ई–निविदा द्वारा निस्तारण हेतु एतदद्वारा घोषित करते हुये दिनांक 30/08/2024 से दिनांक 09/09/2024 तक सात कार्य दिवसों के मध्य निम्नलिखित शर्तो के अधीन ई–टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर ई–निविदा आमंत्रित किया जाता है।

ई–निविदा (E-tendering) हेतु सा0 बालू भण्डरों का विवरण :–

क0सं0	भण्डारण स्थल का विवरण	भण्डारित सा0 बालू की मात्रा (घनमीटर में)	न्यूनतम रायल्टी की दर (रू0 प्रति घनमीटर)	न्यूनतम सरकारी बोली की धनराशि (रू0 में)	प्री–बिड अर्नेस्ट मनी (कॉलम–5 में अंकित धनराशि का 25 प्रतिशत) की धनराशि (रू0 में)	भण्डारित खनिज हटाये जाने (विक्रय एवं परिवहन) हेतु निर्धारित समयावधि
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्राम–मुहालजलकर तहसील गोला, जनपद गोरखपुर	11,281	65.00	7,33,265	1,83,316	03 माह (परिवहन प्रपत्र निर्गत होने के दिनांक से)
2	ग्राम–मुहालजलकर मु0, तहसील गोला, जनपद गोरखपुर	28,979	65.00	18,83,635	4,70,909	03 माह (परिवहन प्रपत्र निर्गत होने के दिनांक से)
3	ग्राम–एकौना बुजुर्ग, तहसील खजनी, जनपद गोरखपुर	1,200	65.00	78,000	19,500	30 दिन (परिवहन प्रपत्र निर्गत होने के दिनांक से)

शर्ते

1. ई–निविदा सा0 बालू के प्रति घनमीटर क लिये दी जायेगी, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के प्रथम अनुसूची में जनपद गोरखपुर के सा0 बाल के लिये विनिर्दिष्ट दर रू0 65 प्रति घनमीटर से कम नही होगी। इससे निम्न ई–निविदा दिये जाने पर ई–निविदा स्वीकार नही की जायेगी तथा प्री–बिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम ई–निविदा की दर (रूपये प्रति घनमीटर) को उस सा0 बालू भण्डार में आंकलित सा0 बालू की कुल मात्रा (घनमीटर) से गुणा कर सम्बन्धित सा0 बालू भण्डार के लिये देय ई–निविदा हेतु प्री–बिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नही होगा उसकी ई–निविदा नही खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
2. इच्छुक निविदाकार ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा व गुणवत्ता एवं पहुंच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई–निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

3. इच्छुक निविदाकार ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व निविदा शुल्क रू0 2500.00/–(दो हजार पाच सौ रू0) खनन विभाग के लेखा शीर्षक "0853–00–102–01–00" में चालान के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

4. निविदादाता द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों की की पी0डी0एफ0 फाइल ई–निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

क– सा0 बालू भण्डारण की मात्रा (घनमीटर) को नियमावली 2021 की अनुसूची 01 में सा0 वालू के लिये विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर रू0 65 प्रति घनमीटर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी, उसके 25 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के बैंक ड्राफ्ट (जो जिलाधिकारी गोरखपुर के पक्ष में देय हो) की मूलप्रति ई–निविदा खोले जाने के पूर्व दिनांक 10/09/2024 को सायं 5:00PM बजे तक जिला खनन कार्यालय गोरखपुर में प्रस्तुत करना होगा। सा0 बालू भण्डार की ई–निविदा हेतु प्री–बिड अर्नेस्ट मनी (EMD) की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि व समय तक जमा नही होगा, उसकी ई–निविदा नही खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

ख–पैन कार्ड एवं आधार कार्ड।

ग–निविदाकार का पता प्रमाण पत्र।

(पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा–वोट आई0डी0/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेन्स/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उसके पंजीकरण का विवरण)

घ–खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथपत्र।

ड़–चरित्र प्रमाण पत्र (जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से सम्बन्धित पुलिस सत्यापन के आधार पर जारी)।

5. ई–निविदा आमंत्रण की सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 कार्य दिवसों के अन्दर अर्थात दिनांक 09/09/2024 तक ई–टेण्डर पोर्टल http://etenders.up.nic.in पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड की जायेगी। बिन्दु संख्या 04 में उल्लिखित/वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या 04 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नही की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

6. दिनांक 10/09/2024 तक प्राप्त ई–निविदाओं को कलेक्ट्रेट गोरखपुर परिसर स्थित एन0आई0सी0 के कार्यालय में दिनांक 11/09/2024 को अपरान्ह 12:00PM बजे खोला जायेगा।

7. ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स को किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट (DSC) प्राप्त करना होगा।

8. इच्छुक ई–निविदाकार को ई–टेण्डर पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ई–टेण्डर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने अथवा ई–निविदा अपलोड करने हेतु किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिये जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 गोरखपुर से उनके मोबाइल नम्बर 0551, 2989098 पर एवं ई–जिला प्रबन्धक से उनके मोबाइल नम्बर–9451065121 पर सम्पर्क किया जा सकता है। ई–निविदाकार द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेने के उपरान्त अपनी ई–निविदा ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगी :–

(1) सर्वप्रथम ई–निविदाकार द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल पर लॉगिंन आई0डी0 (Login ID) एवं पासवर्ड (Password) के द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।

(2) तत्पश्चात निविदाकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन (Verification) ई–टेण्डर पोर्टल पर किया जाना होगा।

(3) ई–निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेण्डर (Search Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रूचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Participate) करने हेतु क्लिक करना होगा।

(4) निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा सम्बन्धित सभी जानकारियों को सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर उसके प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।

(5) निविदाकार द्वारा निविदा के समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा को ई–टेण्डर पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर–4 में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों की स्कैन कापी कर पी0डी0एफ0 फाइल बनायी जानी होगी।

(6) ई–टेण्डर डाक्यूमेन्टस की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजों की पीडी0एफ0 फाइल तैयार हो जाने के पश्चात निविदाकार द्वारा "पे ऑफ लाइन" (Pay Off Line) विकल्प कर क्लिक करने पर एग्रीमेन्ट (Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदाशित होने पर ई–निविदाकार द्वारा आई एग्री–सबमिट (I Agree Submit) पर क्लिक करना होगा।

(7) तत्पश्चात ई–निविदाकार द्वारा अग्रिम धनराशि से सम्बन्धित कालम में बैंक ड्राफ्ट की धनराशि, बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियां भरने के बाद उसको सेव (Save) कर लिया जायेगा।

(8) ई–निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर पर क्लिक करना होगा, जिससे कि अग्रिम धनराशि को टेण्डर के साथ जमा किये जाने से सम्बन्धित कार्य पूर्ण माने जायेंगे।

(9) यदि ई–निविदाकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबमिट की गयी वित्तीय बिड में कोई त्रुटि है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी निविदा/बिड्स में संशोधन करना वांछनीय है, तो माई बिड्स (My Bids) आइकन में क्लिक कर पुनः ई–निविदा पूर्व प्रकिया को अपनाते हुये रि–बिड सबमिशन (Rebid Submission) पर क्लिक कर पुनः सबमिट (Submit) कर सकते है। ई–निविदाकार द्वारा यह कार्य टेण्डर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बार प्रस्तुत की गयी ई–निविदा (Last Submit Bid) ही ई–टेण्डर पोर्टल पर अनुमन्य होगी। पूर्व में प्रस्तुत की गयी बिड्स अनुमन्य नही होगी।

9. सा0 बालू भण्डारण में उपलब्ध सा0 बालू के प्रति घनमीटर के लिये दी जाने वाली सर्वोच्च दर के सफल ई–निविदाकार का चयन उस सा0 बालू के भण्डार के नीलामी परिहार के लिये किया जायेगा।सफल ई–निविदाकार का चयन होने के उपरान्त टेण्डर समिति की संस्तुति के आधार पर उसे आशय पत्र (Letter of Intent) जारी किया जायेगा। उच्चतम ई–निविदा प्रस्तुत करने वाले ई–निविदाकार को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि का बैंक ड्राफ्ट उन्हें वापस कर दिया जायेगा। उच्चतम ई–निविदाकार के मामले में उनके द्वारा जमा की गयी अर्नेस्ट मनी की धनराशि को सम्बन्धित सा0 बालू भण्डार के लिये आगणित ई–निविदा की सर्वोच्च धनराशि में समायोजित कर लिया जायेगा।

10. आशय पत्र (Letter of Intent) प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर सफल निविदाकार को ई–निविदा की शेष सम्पूर्ण धनराशि जमा करना होगा अन्यथा की स्थिति में सफल निविदाकार द्वारा अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुये उस सा0 बालू भण्डार को नये सिरे से नीलामी परिहार पर स्वीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी।

11. सफल निविदाकार द्वारा सर्वोच्च बोली की धनराशि का पांच प्रतिशत (5 प्रतिशत) की धनराशि परफार्मेन्स सिक्योरिटी (Performance Security) के रूप में किसी अनुसूचित बैंक से प्रत्यय पत्र (Letter of Credit from any Scheduled Bank) अनुपालन या प्रतिभूति बंध पत्र (Performance of Surety Bound) या एफ0डी0आर0 (FDR) जो जिलाधिकारी के पक्ष में बन्धक हो, आशय पत्र प्राप्त करने के तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

12. सफल निविदाकार द्वारा ई–निविदा की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त उन्हे सा0 बालू भण्डार से निर्धारित अवधि के अन्दर सा0 बालू को हटाने (विक्रय व परिवहन करने) हेतु स्वीकृति आदेश प्रदान किया जायेगा। उक्त अवधि पूर्ण होने पर शेष बचे सा0 बालू पर राज्य सरकार का अधिकार हो जायेगा।

13. जिलाधिकारी को कोई कारण बताये बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

14. सा0 बालू भण्डार अथवा ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया आदि से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी के लिये इच्छुक निविदाकार द्वारा किसी भी कार्य दिवस में 10.00 बजे पूर्वान्ह से 05.00 बजे अपरान्ह के मध्य जिला खनन कार्यालय गोरखपुर से सम्पर्क किया जा सकता है।

15. मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।

16. स्वीकृत सा0 बालू भण्डार से सा0 बालू का विक्रय व परिवहन जिला खान अधिकारी गोरखपुर द्वारा जारी प्रपत्र सी/ई–प्रपत्र सी के माध्यम से किया जायेगा।

17. भण्डारित खनिज को हटाये जाने हेतु निर्धारित समयावधि में कोई विस्तार अनुमन्य नही होगा।

18. सफल ई–निविदाकार द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0 एवं जी0एस0टी0 आदि नियमानुसार देय होगा।

19. सफल ई–निविदाकार को सा0 बालू परिवहन से पूर्व निकासी मार्ग पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा की व्यवस्था कर उसके अधीन भण्डारित सा0 बालू का परिवहन किया जाना होगा एवं उसकी रिकार्डिंग पेन ड्राइव में सुरक्षित कर कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
20. जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा कोई अन्य नियम एवं शर्तें लगायी जाती है तो उसे इच्छुक निविदाकार एवं सफल निविदाकार को पालन करना होगा।

(कृष्णा करूणेश)
जिलाधिकारी
गोरखपुर।

संख्या व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासल लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर।
4. प्रबन्धक निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग हजरतगंज लखनऊ।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 गोरखपुर।
6. जिला सूचना अधिकारी, गोरखपुर को व्यापाक प्रचार प्रसार कराने हेतु।
7. उपजिलाधिकारी सदर, गोला, खजनी, बांसगांव, कैम्पियरगंज, चौरीचौरा, सहजनवां, जनपद गोरखपुर।
8. नाजिर, कलेक्ट्रेट–गोरखपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

जिलाधिकारी
गोरखपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by SUSHIL KUMAR GOND
Date: 2024.08.30 12:24:26 IST
Location: Uttar Pradesh-UP